डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 05/2026-27 के मुखपृष्ठ, हितधारक परामर्श, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों के पृष्ठ 1, 2, 3, 276, 277, और 278 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/मैंगलोर/सीपी-II/2025-26

परामर्श पत्र संख्या 05/2026-27

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मंगलुरु (आई. एक्स. ई.) के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2026 - 31.03.2031) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 30 सितंबर, 2026

तृतीय तल,
उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली - 110003

हितधारक परामर्श

मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (एमआईए), मंगलुरु को वित्त वर्ष 2015-16 में वास्तविक यात्री यातायात थ्रूपुट (अर्थात, डेढ़ मिलियन से अधिक) होने के आधार पर ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 2(आई) के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में "प्रमुख हवाई अड्डा" घोषित किया गया था। परंतु, ऐरा अधिनियम, 2008 में संशोधन वित्त वर्ष 2019-20 में किया गया, जिसमें यात्री थ्रूपुट सीमा को 'डेढ़ मिलियन' से बढ़ाकर 'साढ़े तीन मिलियन' यात्री कर दिया गया था, इस कारण से एमआईए को गैर-प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया था। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 10 जनवरी, 2020 के आदेश सं. एस. ओ 206 (ई) के अनुसार, एमआईए को "प्रमुख हवाई अड्डे" के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसलिए, एमआईए वित्त वर्ष 2016-17 से प्रमुख हवाई अड्डा बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान इस हवाईअड्डे से **प्रति वर्ष वास्तव में 2.55 मिलियन यात्रियों (एमपीपीए)** का आवागमन हुआ और हवाई यातायात में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, जो भारत के नागर विमानन नेटवर्क के भीतर इसके कार्यनीतिक महत्व को साबित करता है।

भारत सरकार की नीतिगत पहल से मंगलुरु में मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुआ है। इस नीति की रूपरेखा के अनुसरण में मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, (जिसे आगे "एमजीआईएएल" या "हवाईअड्डा प्रचालक" कहा जाएगा) को सितंबर, 2019 में कंपनी अधिनियम, 1956 (अब कंपनी अधिनियम 2013 कहा जाता है) के तहत एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसवीपी) के रूप में निगमित किया गया था। इसका उद्देश्य बाजपे, मंगलुरु में एक ब्राउनफील्ड हवाईअड्डे का प्रचालन, प्रबंधन और विकास करना था।

हवाईअड्डे के विकास और प्रचालन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और एमजीआईएएल के बीच **14 फरवरी, 2020** को रियायत करार किया गया था। इसके बाद, हवाईअड्डे को 31 अक्टूबर, 2020 को सौंप दिया गया और तब से यह देश के प्रमुख विमानन प्रवेश-द्वारों (गेटवे) में से एक प्रवेश-द्वार बन गया है।

ऐरा अधिनियम, 2008 के प्रावधानों और रियायत करार के लागू प्रावधानों के अनुसार, एमजीआईएएल ने द्वितीय नियंत्रण अवधि (2026 - 2031) के लिए वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ़ निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण के समक्ष अपना बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत किया। इस एमवाईटीपी में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. पूर्व-नियंत्रण अवधि की हकदारी (पीसीपीई), प्रथम नियंत्रण अवधि से संबंधित संशोधित ट्रू-अप प्रस्तुति
ii. वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2026 तक के लेखा- परीक्षा किए गए वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि का ट्रू-अप;
iii. 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2031 को समाप्त होने वाली द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए अनुमान।

इस प्रस्तुति में यातायात अनुमान, पूंजीगत खर्च (कैपेक्स), प्रचालन खर्च (ओपेक्स), गैर-वैमानिक राजस्व (एनएआर) और अन्य संबंधित पैरामीटरों के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है, जो द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ़ निर्धारित करने का आधार बनते हैं।

प्रारंभिक प्रस्तुति के बाद, एमजीआईएएल ने **10 अगस्त, 2026** तक विभिन्न पत्राचारों के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी और अद्यतन प्रस्तुतियां पेश की। इस परामर्श पत्र में निहित विश्लेषण और मूल्यांकन हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत ऐसी संशोधित प्रस्तुतियों और अद्यतन वित्तीय परिकलनों पर आधारित हैं।

इस परामर्श पत्र को तैयार करते समय, प्राधिकरण ने एमजीआईएएल द्वारा प्रस्तुत किए गए एमवाईटीपी की प्रस्तुतियों और उनसे संबंधित दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच की। इस मूल्यांकन में प्रथम नियंत्रण अवधि से संबंधित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की जांच शामिल थी।

तदनुसार, प्राधिकरण ने मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मंगलुरु के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के कार्य के भाग के रूप में अपने प्रस्ताव निर्धारित कर यह परामर्श पत्र जारी किया है। प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों से लिखित, साक्ष्य आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों पर विधिवत विचार करेगा तथा हितधारकों की प्रस्तुतियों के अच्छे तथ्यों को ध्यान में रखकर वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करेगा।

प्राधिकरण इस बात पर ज़ोर देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया के लिए निर्धारित की गई समय-सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और उसका सख्ती से पालन करना ज़रूरी है। इसलिए हितधारकों से अनुरोध है कि वे इस परामर्श -पत्र में बताई गई समय-सीमा के भीतर ही अपनी टिप्पणियां और इन-पुट दें। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त यह ध्यान देना आवश्यक है कि ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(2) के संदर्भ में किसी नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ़ आदेश के अंतर्गत निर्धारित की गई टैरिफ़ की वर्तमान नियंत्रण अवधि के दौरान समीक्षा और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यदि प्राधिकरण जनहित में और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक समझे।

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 30 सितंबर, 2026 के **परामर्श पत्र संख्या 05/2026-27** पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ईमेल:director-ps@aera.gov.in, rajan.gupta1@aera.gov.in प्रतिलिपि: secretary@aera.gov.in

हितधारक परामर्श बैठक:	**15.10.2026**
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख:	**30.10.2026**
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख:	**09.11.2026**

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां प्राधिकरण की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695043 पर संपर्क कर सकते हैं।

13. <u>हितधारकों से परामर्श के लिए प्रस्तुत प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार</u>

अध्याय 2 : वाणिज्यक प्रचालक की तारीख से 31 मार्च, 2021 तक ट्रूअप

2.4.1 तालिका 11 के अनुसार वाणिज्यक प्रचालक की तारीख से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए ट्रूअप को बनाए रखना ।

अध्याय 3 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ट्रूअप

3.11.1 तालिका 13 के अनुसार वास्तविक आंकड़ों के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रूअप के लिए यातायात को मानना

3.11.2 तालिका 81 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रूअप के लिए वैमानिक कैपेक्स को मानना।

3.11.3 तालिका 93 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए वैमानिक मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी) को मानना।

3.11.4 तालिका 100 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए एफआरओआर को मानना।

3.11.5 तालिका 155 के विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रूअप के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

3.11.6 तालिका 159 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रूअप के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

3.11.7 तालिका 163 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के लिए वैमानिक राजस्व को मानना।

3.11.8 तालिका 168 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के वैमानिक कर को शून्य मानना।

3.11.9 तालिका 172 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि तक ₹570.11 करोड़ रुपये (31 मार्च 2027 तक) की कम वसूली वाले एआरआर को मानना।

अध्याय 4 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात पूर्वानुमान

4.3.1 तालिका 184 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात पूर्वानुमान को मानना।

4.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (एटीएम, यात्री और कार्गो) को ट्रूअप करना।

अध्याय 5: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार

5.8.1 तालिका 222 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक परिवर्धनों को मानना

5.8.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक आंकड़ों, लागत दक्षता और औचित्य के आधार पर वैमानिक परिवर्धनों को ट्रू-अप करना।

5.8.3 तालिका 226 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को मानना।

5.8.4 अगली नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के दौरान वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर मूल्यह्रास को ट्रू-अप करना।

5.8.5 तालिका 228 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए विनियामक परिसंपत्ति आधार को मानना।

5.8.6 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को ट्रू-अप करना।

5.8.7 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से परियोजना लागत की 1% राशि कम करना (समायोजित करना), जैसा

कि पैरा 5.3.247 में उल्लेख किया गया है। अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के दौरान इसकी जांच की जाएगी।

5.8.8 द्वितीय नियंत्रण अवधि के दौरान केवल आईडीसी की अनुमति देना और पैरा संख्या 5.3.241 में उल्लिखित वित्तपोषण भत्ते की अनुमति नहीं देना।

5.8.9 पैरा नं. 5.3.224 में उल्लेख किए अनुसार 92:8 के टर्मिनल भवन अनुपात को मानना।

अध्याय 6 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर)

6.3.1 तालिका 232 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए इक्विटी की लागत, ऋण की लागत, काल्पनिक ऋण-इक्विटी अनुपात और एफआरओआर को मानना

6.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के समय, वास्तविक आकड़ों (या) एसबीआई के औसत एक (1) वर्ष के एमसीएलआर प्लस स्प्रेड के 150 बीपीएस, जो भी कम हो, के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए ऋण की लागत को ट्रू-अप करना।

6.3.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के समय, वास्तविक क्रेडिट रेटिंग या 150 बीपीएस, जो भी कम हो, के आधार पर क्रेडिट स्प्रेड को ट्रू-अप करना।

अध्याय 7: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रास्फीति

7.3.1 तालिका 233 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रास्फीति दरों को मानना।

अध्याय 8: **द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) खर्च**

8.3.1 तालिका 282 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिकी ओ एंड एम खर्च को मानना।

8.3.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वास्तविक आंकड़ों के आधार पर वैमानिक ओ एंड एम खर्च को औचित्य और दक्षता की शर्त पर ट्रू-अप करना।

अध्याय 9: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व

9.3.1 तालिका 285 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

9.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के समय, प्राधिकरण द्वारा तालिका 285 में प्रस्तावित किए अनुसार न्यूनतम सीमा तक, वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए एनएआर को ट्रू-अप करना।

अध्याय 10: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर

10.3.1 तालिका 288 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक करों को मानना।

10.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के समय सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वैमानिकी कर राशि को उचित रूप से ट्रू-अप करना।

अध्याय 11: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

11.3.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता के कारण कुल राजस्व अपेक्षा में किसी भी समायोजन को न मानना ।

11.3.2 एमजीआईएएल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलुरु में रियायत करार में निर्धारित कार्य निष्पादन मानकों का पालन किया जाता है और पैरा 11.2.8 में उल्लिखित अंतिम

आदेश के अनुसरण में अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे कार्य निष्पादन मानकों का भी अनुपालन किया जाएगा, जो प्रमुख हवाईअड्डों के लिए लागू कर दिए गए हैं।

अध्याय 12: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

12.8.1 तालिका 294 के अनुसार एमजीआईएएल के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और वाईपीपी को मानना।

12.8.2 एमजीआईएएल को निदेश देना कि वे इस परामर्श पत्र के जारी होने के 7 दिन के भीतर बेसलाइन और वृद्धिशील एआरआर के अनुरूप वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (टैरिफ दर कार्ड) प्रस्तुत करें, जिसे हितधारकों के साथ परामर्श के लिए पेश किया जाएगा।

14 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

14.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार इस परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 13-प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

14.1.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

14.1.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 30 अक्टूबर, 2026 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
तृतीय तल, **उड़ान भवन**,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली -110003.

(अध्यक्ष)